

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक
प्रधान कार्यालय, कलमबाग चौक,
मुजफ्फरपुर, बिहार, 842 001



Uttar Bihar Gramin Bank

HEAD OFFICE, KALAMBAGH CHOWK,
MUZAFFARPUR, BIHAR, 842 001

(Sponsored By :: Central Bank of India)

ट्रैक्टर, हारवेस्टर इत्यादि के लिए ऋण (कृषि हेतु)

प्रयोजन:	आवश्यक उपकरण तथा उपकरणों के साथ ट्रैक्टर, इत्यादि की खरीद (कृषि कार्य हेतु)
पात्रता	<ul style="list-style-type: none">कोई व्यक्ति अथवा भागीदारी फार्म जिसके पास अपनी जमीन हो एवं कृषि और सम्बन्ध गतिविधियों में संलग्न हो।शाखा के कार्य क्षेत्र का स्थाई निवासी।न्यूनतम 4 एकड़ सिंचित कृषि भूमि या न्यूनतम 8 एकड़ असिंचित कृषि भूमि होनी चाहिए।न्यूनतम 1000 घंटों के किराया।किसी बैंक/वित्तीय संस्था का चूककर्ता नहीं हो।
ऋण की प्रकृति:	सावधिक ऋण (Term Loan)
ऋण पात्रता:	उपकरण की लागत का 80%
मार्जिन:	उपकरण की लागत मूल्य का 20%
ऋण वितरण:	भुगतान सीधे आपूर्तिकर्ता/डीलर को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से।
ब्याज दर:	12.5% छमाही चक्रवृद्धि (नियमानुसार परिवर्तनीय)।
बीमा:	उपकरण का खरीद मूल्य पर बैंक क्लॉज के साथ Comprehensive बीमा आवश्यक है।
मोरोटोरियम:	छ: माह (ऋण अदायगी समय में सम्मिलित)।
प्रतिभूति	प्राथमिक प्रतिभूति: ट्रैक्टर तथा उपकरण का दृष्टिबंधन है।
चुकौती अवधि:	अधिकतम 9वर्ष (मोरिटोरियम अवधि के साथ)

नोट: बैंक क्लॉज के साथ ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन की कॉपी और ट्रैक्टर की एक चाभी बैंक में रखनी होगी।